

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन मू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 137/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/217

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

- | | |
|---|--|
| 1. बाबुलाल पुत्र देरामाराम
जाति जाट निवासी मादासर | 1. छोगाराम पुत्र मांगाराम |
| 2. मूलाराम पुत्र जयराम
जाति जाट निवासी बायतु | 2. डूगराराम पुत्र मांगाराम |
| 3. चौखाराम पुत्र किस्तुराराम
जाति जाट निवासी बायतु | 3. नेमाराम पुत्र मांगाराम |
| 4. जगाराम पुत्र जोधाराम जाति राईका
निवासी मूगडा तहसील पचपदरा | 4. बुधाराम पुत्र मांगाराम |
| 5. सकूदेवी पत्नी सांवलराम
जाति राईका निवासी जेरला | 5. पूनी पत्नी मांगाराम |
| 6. सांवलराम पुत्र रूपाराम
जाति राईका निवासी जेरला
तहसील पचपदरा | 6. मोहनराम पुत्र मांगाराम जाति राईका
निवासी जेरला तहसील पचपदरा |
| 7. वांकाराम पुत्र लूम्बाराम जाति राईका
निवासी जेरला तहसील पचपदरा व
जिला बालोतरा | 7. पटान खां पुत्र गुलाब खां जाति तेली
निवासी वार्ड संख्या 45 विधायक नगर
बालोतरा व जिला बालोतरा |
| | 8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा |
| | 9. नगर परिषद बालोतरा |

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 07
3. विप्रार्थी संख्या 01 से 06 व 09 एकपक्षीय
4. विप्रार्थी संख्या 08 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 24/05/24

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 728/162 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टर एवं खसरा संख्या 730/162 क्षेत्रफल 1.9425 भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आ रहा है प्राणी की भूमि के सोडा सोडा विप्राधीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्राणीगण की भूमि के सोडा को लेकर विप्राधीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्राणीगण द्वारा ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 728/162 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टर एवं खसरा संख्या 730/162 क्षेत्रफल 1.9425 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्राणी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राधीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्राधीगण के नोटिस तागील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार द्वारा विप्राधी संख्या 07 (पतान खा) की ओर से नकालतनामा मय जवाब पेश कर प्राणीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्राधी संख्या 01 से 6 व 9 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी तपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्राधी संख्या 08 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3. हमने प्राणीगण अधिवक्ता एवं विप्राधी संख्या 07 अधिवक्ता की बहस सुनी। प्राणीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्राणीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 728/162 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टर एवं खसरा संख्या 730/162 क्षेत्रफल 1.9425 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्राणीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्राणीगण की भूमि के सोडा सोडा विप्राधी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्राणीगण की भूमि के सोडा को लेकर विप्राधीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्राणीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माडो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्राणीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्राधी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्राणीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है, प्राणीगण द्वारा विप्राधी को मना करने के उपरांत भी विप्राधी प्राणीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अतः प्राणीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 728/162 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टर एवं खसरा संख्या 730/162 क्षेत्रफल 1.9425 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी करने के आदेश किया जावें।

4. विप्राधी संख्या 07 अधिवक्ता की बहस है कि प्राणीगण की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि विवादित भूमि की सीमाओं के लगते समस्त सेडा पडौसियों को विप्राधी पक्षकार नहीं बनाया गया है। विप्राधी की ओर से प्राणीगण की खातेदारी में कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही प्राणीगण की सेडा माड को नुकसान पहुंचाया गया है। प्राणीगण की ओर से विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद होना बताया गया है। जबकि विवादित भूमि के संबध में सीमाज्ञान कार्यवाही विप्राधी को बिना सूचित किए हुए तैयार करवाई गई है। विप्राधी की ओर से प्राणीगण की खातेदारी भूमि को लेकर कभी वाद विवाद नहीं किया गया, बल्कि उल्टे प्राणीगण की ओर से आए दिन विप्राधी को परेशान करने की नियत से


हस्तगत प्रकरण पेश किया है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन में कोई सारमृत तथ्य निहित नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 728/162 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं खसरा संख्या 730/162 क्षेत्रफल 1.9425 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 06 व विप्रार्थी संख्या 09 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड खातेदार है और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे।

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति मौका फर्द दिनांक 08.6.2023 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानों के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थी संख्या 07 (पठान खां) की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब पेश कर प्रार्थीगण के आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया। लेकिन जवाब के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया, जिससे प्रतीत होता हो कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने के हकदार नहीं हो। जबकि प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट से साबित करने में सफल रहे हैं कि विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर सेढा पड़ौसियों में वाद विवाद कायम है, इस कारण विवादित भूमि की नेखमबंदी की जानी उचित प्रतीत होती है। विप्रार्थी संख्या 01 से 6 व 9 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


उपसिंड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 728/162 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टर एवं खसरा संख्या 730/162 क्षेत्रफल 1.9425 हैक्टर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।



(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.05.24 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा